फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

अर्जुनदान पुत्र बिड़ददान
वाया पोस्ट जाम्बा तहसील बाप,
जिला जोधपुर (राज0)

लोक सूचना अधिकारी
(जिला रसद अधिकारी ग्रामीण, द्वितीय
जोधपुर)

किस्म मुकदमा धारा 19(1), सूचना क
अधिकार अधिनियम 2005

नम्बर 162 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.10.17	अपीलार्थी अर्जुनदान पुत्र बिड़ददान वाया पोस्ट जाम्बा तहसील बाप, जिला जोधपुर (राज0) ने अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत बाबत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2017 लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय ग्रामीण जोधपुर) द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के विरुद्ध प्रथम अपील खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर को दिनांक 13.09.17 को प्रेषित की । नोडल अधिकारी सूचना के अधिकार एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) जयपुर द्वारा पत्रांक एफ102 (3)(1)/खा.वि./आर.टी.आई./वि.वि./2017 दिनांक 18.10.2017 द्वारा अपील इस कार्यालय को हस्तान्तरित की गयी है । अपील दर्ज रजिस्टर कर लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय ग्रामीण जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जावे तथा पत्रावली दिनांक 13.11.2017 को पेश हो।	